

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त छूटों अधिकार-पत्रों अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण

निगम द्वारा संचालित योजनाओं में वितरित ऋण की वसूली निर्धारित रिक्वरी सिडयूल के अनुसार लाभार्थी द्वारा न कर पाने के कारण तथा लाभार्थी द्वारा विलम्ब किये जाने से समय से किस्ते जमा न हो पाने की स्थिति में निगम द्वारा एक मुश्त समाधान योजना संचालित है । जिसमें एकमुश्त अदायगी करने पर सम्पूर्ण दण्डव्याज माफ हो जाता है।